प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

32-खानपुर .....(निर्वाचन क्षेत्र एवं)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा .....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, सईद हसन .....पुत्र/~~पुत्री~~/पत्नी रसीद अहमद .....आयु 52 .....वर्ष .....जो ग्राम जसोधरपुर का/~~की~~ निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/~~करती हूं~~/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती हूं~~:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं .....नहीं.....

(ii) पुलिस थाना (थाने) .....नहीं.....जिला (जिले) .....नहीं.....राज्य .....नहीं.....

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....लागू नहीं.....

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....लागू नहीं.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे.....लागू नहीं.....

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है.....लागू नहीं.....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

सईद हसन

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :–

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ..... लागू नहीं .....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है ..... लागू नहीं .....

(iii) पुलिस थाना (थाने) ..... लागू नहीं ..... जिला (जिले) लागू नहीं ..... राज्य ..... लागू नहीं .....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ..... लागू नहीं .....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे ..... लागू नहीं .....

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं ..... लागू नहीं .....

स्थान रोशनाबाद, हरिद्वार
तारीख 11-01-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
[signature]

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रोशनाबाद, हरिद्वार स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
[signature]

टिप्पणी :– इस प्रश्न के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिये जाये।

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

9 JAN 2017
12AA 905502

NOTARY
NISHA SHARMA
ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND

Nisha Sharma
9/1/17
NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARIDWAR